न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 26/2018

बउनवान

राजमल आयु 60 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति–गुर्जर निवासी–भटवाडा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 19.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 197 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व [illegible] तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट [illegible] जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे [illegible] मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजाया [illegible] योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर [illegible] का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण [illegible] रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान [illegible] व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस [illegible] अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी खेडत [illegible] है। तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं [illegible] के लिये वचनबद्ध है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 57/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित [illegible]

परिणामस्वरूप, अपीलांट [illegible] की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल [illegible] शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायाल[illegible] 38/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सिविल [illegible] शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से [illegible] तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग [illegible] उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार, मॉगरो[illegible] छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरो[illegible] दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ [illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित निर्णय [illegible] रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर
[illegible] (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official